संपादकीय

इक्कीसवीं सदी में भारत की स्थिति और उसकी जरूरतों के अनुरूप बनी शिक्षा नीति

21वीं सदी भारत की सदी होगी यह अब केवल अनुमान का विषय नहीं रहा है। भारत ने हाल के वर्षों में विविध मोर्चों पर जिस तरह से नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और उन सबसे विश्व समुदाय में हमारी जो धाक बनी है वह अप्रतिम है। भारत और भारत के विचारों की दिव्यता से आज पूरी दुनिया चमत्कृत है। आर्थिक समृद्धि, सामरिक-कूटनीतिक पहल और उसमें मिली अपार सफलता, प्रभावशाली विदेश नीति, तकनीक और नए वैज्ञानिक अनुसंधान, मंगल तक हुई पहुँच, योग को दुनिया भर में मिली स्वीकार्यता, वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रियता, कोरोना महामारी से निपटने में भारत की कुशलता आदि से भारत को दुनिया के नेतृत्वकर्ता देश के रूप में पहले से अधिक स्वीकार्यता मिली है। विगत वर्षों में हमने तेजी से आर्थिक प्रगति तो की ही है, साथ ही पड़ोस की स्थिति, स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा वैश्विक बाजार के साथ हमारे एकीकरण, हमारी आत्मनिर्भरता के फलस्वरूप उत्पन्न चुनौतियों के साथ हमने अपना बेहतर सामंजस्य भी स्थापित किया है। भारत ने हमेशा से एक बहुलवादी, लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी विविधता को प्रबंधित करने के लिए सफल मानकों का सृजन किया, इस तथ्य को दुनिया भलीभांति जानती है।

राष्ट्रीय स्तर पर कुशल नेतृत्व, देशवासियों की कर्मठता, किसान-मजदूरों के श्रम, वैज्ञानिकों-चिकित्सकों, शिक्षाविदों, तकनीकविदों के समर्पण आदि के बल पर हमने अपने विकास को अभूतपूर्व गति दी है। इसके साथ ही इन सबसे देश और दुनिया में तेजी से यह मानस बनता गया कि भारत ही आने वाले वर्षों में दुनिया का मार्गदर्शक होगा, लेकिन इसके सामानांतर इस आवश्यकता को भी महसूस किया गया कि इसके लिए हमें दीर्घकालिक सोच और दृष्टि के साथ सभी आयामों पर व्यापक नीति और रणनीति के साथ कार्य करना होगा। इसके लिए सभी क्षेत्रों में व्यापक बदलाव की जरूरत बड़ी ही शिद्दत के साथ महसूस होने लगी है।

बहरहाल, यह सर्वविदित है कि किसी भी देश में व्यापक बदलाव की प्रक्रिया का मूल आधार शिक्षा के माध्यम से ही तैयार हो सकता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की अपनी विशिष्ट परंपरा रही है। प्राचीन काल से ही दुनिया के तमाम देश भारतीय ज्ञान परंपरा और इसकी शिक्षा व्यवस्था की ओर आकर्षित होते रहे हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था समकालीन विश्व की शिक्षा व्यवस्था से कहीं अधिक समुन्नत और बेहतर थी लेकिन कालांतर में शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आई। विदेशी आक्रान्ताओं ने भारतीयता की सनातन धारा को अवरुद्ध करने के क्रम में शिक्षा व्यवस्था को काफी क्षति पहुंचायी और इसको उस अनुपात में विकसित नहीं किया जिस अनुपात में होना चाहिए था। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान भी शिक्षा में सुधार के लिए चिंतन चलता रहा। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए किन्तु उसमें कई कमियाँ थी। हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जिन महान आध्यात्मिक मूल्यों पर अधिष्ठित थी मैकाले की शिक्षा नीति के प्रभाव में उसकी उपेक्षा की गई। इससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था का बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे में यह नई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' अत्यंत ही उत्साहजनक और परिणामकारी है। इसमें व्यापक दृष्टिकोण और दूरदर्शिता स्पष्टतः देखी जा सकती है। भारतीय परिवेश और परंपरा के अनुकूल यह शिक्षा नीति भारतीयता की प्रतिष्ठा की दृष्टि से बेहद निर्णायक सिद्ध हो सकती है।

इक्कीसवीं सदी की इस पहली और महत्त्वाकांक्षी शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए इस सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम प्रतीत होता है। दरअसल

तेजी से बदलती दुनिया और नए भारत के उभार के साथ ही शिक्षा नीति में बुनियादी परिवर्तन की अवश्यकता थी और उसकी पूर्ति हाल में ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माननीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक के मार्गदर्शन में 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप आई क्रांतिकारी, प्रगतिगामी, भारतीय मूल्यों से जुड़ी ऐतिहासिक 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' से होती हुई दिख रही है।

इस शिक्षा नीति ने देश के करोड़ों युवाओं की आशाओं, अपेक्षाओं, सपनों को पंख तो दिए ही हैं, नई दुनिया और नए भारत के अनुरूप नागरिक तैयार करने वाली शिक्षा व्यवस्था की मजबूत पहल भी इसमें दिखाई देती है। यह प्रगतिगामी, नई आवश्यकताओं के अनुकूल और लचीली है। यह देश की भौगौलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैश्विक कसौटियों पर खरी उतरने की भरपूर संभावना से युक्त शिक्षा नीति है। यह भारतीय जीवन मूल्यों, स्थानीयता, भारत की भाषिक बहुलता को प्रमुखता देते हुए मैकाले द्वारा रचे गए व्यूह को तोड़ने की चेतना से संपृक्त है। यह ऐसी शिक्षा नीति है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने की हमारी आकांक्षाओं को तेजी से आगे बढ़ाएगी। यह मैकाले के षड़यंत्र से देश को बाहर निकालने और युवा मन को मुक्त करने की उद्घोषणा करने वाली शिक्षा नीति है। यह उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को मजबूत करने की चिरलंबित जरूरतों को पूरा करने वाली शिक्षा नीति है। समग्रता में देखें तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारतीयता की पुनर्प्रतिष्ठा के प्रयासों को बल देने वाली यह शिक्षा नीति सही मायने में इक्कीसवीं सदी में भारत की स्थिति, उसकी जरूरतों के अनुरूप और अनुकूल है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजे 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक ''सभी के लिए समावेशी और सामान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने'' का लक्ष्य है। ऐसे में 21वीं सदी की इस पहली शिक्षा नीति को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो। भविष्य के भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप हो तथा भारतीय ज्ञान और मूल्य परंपरा के माध्यम से व्यापक राष्ट्रीय हित से युक्त हो।

इस शिक्षा नीति में भारत की पहले की शिक्षा नीतियों से सभी जरूरी और बेहतर चीजों को शामिल किया गया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें न केवल इन बिन्दुओं को शामिल किया गया है बल्कि उसके कार्यान्वयन से जुड़े पहलुओं पर भी काफी बल दिया गया है। इस नीति में ज्ञान-विज्ञान का एक ऐसा ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया गया प्रतीत होता है जो लोगों की क्षमता, उनकी रुचि, उनके लिए रोजगार के अवसर और प्रशिक्षण आदि सभी पहलुओं को समेटे हुए है।

इस नीति में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उनमें पिछले 10+2 वाले अकादमिक ढाँचे की जगह 5(3+2)+3+3+4 वाले नए शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचे का विकास, कोर्स चयन में अधिक लचीलेपन का होना, कौशल विकास को शिक्षा पाठ्यक्रम से जोड़ना, शिक्षण शास्त्र को एक मजबूत स्थानीय और भारतीय संदर्भ देने की दृष्टि का होना जैसे अनेक बिंदु शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा में संस्थागत पुनर्गठन और समेकन के क्रम में बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों का गठन, उच्चतर शिक्षा संस्थान क्लस्टरों का निर्माण आदि से संबंधित अनुशंसाएँ भी शिक्षा में सुधार के नए मार्ग खोलने वाली हैं। इसके लिए 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक शिक्षा संस्थान होने का संकल्प भी इस शिक्षा नीति में व्यक्त किया गया है। उच्चतर शिक्षा के संबंध में एक बड़ी भूमिका नियामक संस्थाओं की रही है। इन नियामक संस्थाओं के समन्वय और साझा हितों की तारतम्यता को बनाने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन और इन सभी नियामक संस्थाओं को उससे संबद्ध करने की व्यवस्था, जो इस शिक्षा नीति में की गई है, भी बेहद सकारात्मक है। इस शिक्षा नीति में महंगी होती शिक्षा और उससे निपटने की दिशा में कदम उठाने का भी संकेत मिलता है। इसके तहत शिक्षा शुल्क के उच्चतम स्तर को निर्धारित करने की दिशा में एक विशिष्ट प्रणाली के विकास और 'फेलोशिप' तथा 'फ्रीशिप' को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अगर ऐसा होता है तो उन लोगों के लिए, जिनकी पहुँच से शिक्षा आज भी बहुत दूर है, बेहद राहत की बात होगी।

नई शिक्षा नीति में कई ऐसे बिंदु भी हैं जिनकी मांग लम्बे अरसे से की जा रही थी। इनमें 5वीं कक्षा तक शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषा/मातृभाषा को स्वीकार करना अत्यंत ही स्वागत योग्य पहल है। इससे छात्रों को उस वातावरण के साथ अपने विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में सहायता मिलेगी जिसमें वे रह रहे हैं। इसके माध्यम से भारत के संविधान के उस प्रावधान को कि बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए हर राज्य और स्थानीय प्राधिकरण को पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। उनमें अपनी संस्कृति, परंपरा और विरासत के प्रति गौरव का भाव भी पैदा होगा।

नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभवात्मक विधियों के माध्यम से समृद्ध किया जाएगा और भाषाओं के सांस्कृतिक पहलुओं जैसे कि फिल्म, थिएटर, कथावाचन, काव्य और संगीत को जोड़ते हुए इन्हें सिखाया जाएगा। अधिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर विविध कार्यक्रमों में माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा का उपयोग किया जाए अथवा इन कार्यक्रमों को द्विभाषिक रूप में चलाया जाए यह निर्देश भी अपने आप में एक बड़ा कदम है। इससे भारतीय भाषाओं को मजबूती मिल

सकेगी। इसके साथ ही इसमें उच्च शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अनुवाद से संबंधित डिग्रियों और कार्यक्रमों को सृजित करने की बात भी कही गई है जो भारतीय भाषाओं के कार्यान्वयन की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए 'इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन और इंटरप्रीटेशन (आईआईटीआई)' की स्थापना की बात कही गई है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं के लिए अकादमी स्थापित करने जैसी बड़ी बात भी इस नई शिक्षा नीति में शामिल है। इसके अतिरिक्त पांडुलिपियों को इकठ्ठा करना, उसका संरक्षण करना, अनुवाद कर उसके अध्ययन को प्रोत्साहित करना यही नहीं पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना का संकल्प भी अभिव्यक्त हुआ है।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में भाषा और कला संस्कृति आदि को इस तरह से समावेशित किया गया है कि विद्यार्थी स्वयं के सृजनात्मक, कलात्मक, सांस्कृतिक एवं अकादमिक आयामों का विकास कर सकें। भाषा के साथ ही स्थानीय कला और संस्कृति का संरक्षण करने और इसके लिए सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित स्थानीय कला और संस्कृति को वेब आधारित प्लेटफॉर्म्स पर दस्तावेजीकरण का प्रयास करने की बात भी इस शिक्षा नीति में शामिल है। संरक्षण के इन प्रयासों को और इससे संबंधित इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान आदि से जुड़े अनुसंधान एवं परियोजनाओं को एनआरएफ की ओर से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने संबंधी प्रावधान इस काम को गति देने की दृष्टि से बेहद उपयोगी सिद्ध होंगे। इस शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को बढ़ावा देना, डिजिटल अंतर को कम करना, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन, अध्यापकों के रिक्त पदों की भर्ती, अध्यापन शिक्षण की व्यवस्था को दुरुस्त करना, उनके प्रशिक्षण और विकास के लिए नई प्रणालियों का विकास जैसे ढेरों कदम उठाने संबंधी व्यवस्थाएँ इस शिक्षा नीति के प्रावधानों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से खास महत्त्व रखती हैं।

इक्कीसवीं सदी की इस पहली और बड़ी शिक्षा नीति की बारीकियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने और उसके विवेचन-विश्लेषण की दृष्टि से हंसराज कॉलेज ने अपनी बहुविषयक शोध पत्रिका 'हंस शोध सुधा' का नया अंक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केंद्रित रखने का निर्णय किया और मुझे प्रसन्नता है कि इस संबंध में अनेक महत्त्वपूर्ण आलेखों से युक्त यह नया विशेषांक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस अंक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशिष्टताओं से युक्त अनेक महत्त्वपूर्ण शोध आलेख शामिल किए गए हैं। इन आलेखों में नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका के मद्देनजर 21वीं सदी की अपेक्षाओं के अनुरूप किए गए प्रावधानों की बारीकियों का विवेचन-विश्लेषण बड़ी ही गंभीरता के साथ किया गया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार सिद्धांतों, इसके कार्यान्वयन की चुनौतियों और इससे निपटने की रणनीति आदि बिंदु इन आलेखों को बेहद उपयोगी और महत्त्वपूर्ण बनाते हैं।

भारत की भाषाई अस्मिता और उससे जुड़े प्रश्नों के आलोक में नई शिक्षा नीति, इसमें निहित राष्ट्रीयता के आयाम, स्थानीयता, भारतीयता, कला-संस्कृति को मिले महत्त्व, भाषाई विविधता के संरक्षण और संबर्द्धन आदि को बड़ी ही गहराई के साथ इस शिक्षा नीति का हिस्सा बनाया गया जिसके प्रभाव और परिणाम आदि से जुड़े पहलुओं को विवेचित करते हुए विविध आलेख इस अंक को खास बनाते हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पूरी परंपरा और समय-समय पर लागू की गई शिक्षा नीति की विशेषताओं और खामियों के मद्देनजर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए सुधार और इसके मजबूत कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले उपाय आदि पर भी इस शिक्षा नीति में खास ध्यान दिया गया है और उन बिन्दुओं को भी इस अंक के लेखकों ने अपने लेखों में स्थान दिया है। अनुवाद के साथ ही ऐसी बहुत सी चीजें जिनको लेकर देश में लम्बे समय से शिक्षाविदों/जानकारों की मांग रही है, उसे इस शिक्षा नीति में समायोजित किया गया है और इस अंक में उस पर भी व्यापक प्रकाश डाला गया है।

इस शिक्षा नीति की अनेक विशेषताओं में रचनात्मकता, अनुसंधान और नवाचार को मिला विशेष महत्त्व शामिल है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों, शिक्षा से कौशल विकास को अनिवार्य रूप से संबद्ध करने की कोशिश, अनुवाद, शिक्षा से जुड़े निकायों आदि के स्वरूप और कार्य संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन जैसे दो चार नहीं बल्कि कई ऐसे बिंदु हैं जिनको इस शिक्षा नीति में क्रांतिकारी ढंग से अनुस्यूत किया गया है। इसमें वर्तमान जरूरतों का ध्यान तो रखा ही गया है, इसके साथ ही भविष्य की चुनौतियों को लेकर भी एक विशेष प्रकार की दूरदर्शिता दिखाई देती है। निश्चय ही नई शिक्षा नीति बदलती हुई दुनिया और इसकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुकूल और सशक्त भारत, समर्थ भारत के निर्माण की दिशा में मजबूती से बढ़े कदमों को और गति देने वाली नीति है।

'हंस शोध सुधा' के इस नवीनतम अंक में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केंद्रित है, इस नीति की विशेषताओं और उसके विभिन्न पहलुओं से अधिक से अधिक लोगों को परिचित कराने का गंभीर प्रयास दिखाई देता है। इस प्रयास में योगदान देने वाले इस अंक के लेखकों को मेरी ओर से विशेष आभार और उनके लेखों के प्रकाशन हेतु उनको ढेरों बधाई।

बधाई, हंस शोध सुधा के संपादन मंडल से जुड़े सभी सदस्यों को जिन्होंने पूरे समर्पण और लगन के साथ इस अंक को इतने बेहतर स्वरूप में पाठकों तक लाने का कार्य किया। भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएँ। पाठकों के सुझाव और प्रतिक्रियाओं का स्वागत।

प्रो. रमा